न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 35 / 2025

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. किरण कुमार पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी जालौर तहसील व जिला जालौर राज0।		1. दौलाराम पुत्र शंकर जाति बावरी निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0 2. भावना परिहार पत्नि मनीष परिहार जाति ढोली निवासी खोड तह0 व जिला पाली। 3. महावीर प्रसाद बैरवा पुत्र भैरू बैरवा जाति बैरवा निवासी संजय नगर, बरल 2 अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0। 4. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **श्री कुन्दनमल अधिवक्ता प्रति सं0 02 व 03 उप0।**

दिनांक – 26/03/2025

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 403 के खसरा नम्बर 3149, 3170, 3171 कुल खसरा 03 कुल रकबा 9.9400 हैक्टर की वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादीगण द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 01 के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 06.03.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व/2025/439 दिनांक 24.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 20.03.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

—: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 20.03.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 403 के खसरा नम्बर 3149, 3170, 3171 कुल खसरा 03 कुल रकबा 9.9400 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

01 ग्राम सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	दौलाराम पुत्र शंकर जाति बावरी सा0 देह खातेदार	3149 / 1	0.2071	जा0 सो0 बंजड़	1.02 0.07
		01	0.2071	—	1.09
2.	किरण कुमार पुत्र कानाराम हि0 36831 / 97329 जाति सरगरा सा0 जालौर भावना परिहार पत्नि मनीष परिहार हि0 30027 / 97329 जाति ढोली सा0 खोड महावीर प्रसाद बैरवा पुत्र भैरू बैरवा हि0 30471 / 97329 जाति बैरवा सा0 संजय नगर, बरल अजमेर खातेदार	3149 3170 3171	3.6729 3.8700 2.1900	जा0 सो0 बजंड़ जा0 सो0 बंजड़ जा0 सो0 बंजड़	17.58 1.49 18.60 1.54 1.75 0.44
		03	9.7329	—	50.59

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

दिनांक : 25/03/2025

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादी

1. किरण कुमार पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी जालौर तहसील व जिला जालौर राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दौलाराम पुत्र शंकर जाति बावरी निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0
2. भावना परिहार पत्नि मनीष परिहार जाति ढोली निवासी खोड़ तह0 व जिला पाली।
3. महावीर प्रसाद बैरवा पुत्र भैरू बैरवा जाति बैरवा निवासी संजय नगर, वरल 2 अजमेर तह0 व जिला अजमेर राज0।
4. तहसीलदार (भूमिधारक), सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वादः— 35/2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी एवं श्री कुन्दनमल अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02 व 03 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 403 के खसरा नम्बर 3149, 3170, 3171 कुल खसरा 03 कुल रकबा 9.9400 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है — 01 ग्राम सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	दौलाराम पुत्र शंकर जाति बावरी सा0 देह खातेदार	3149/1	0.2071	जा0 सो0 बंजड़	1.02 0.07
		01	0.2071	—	1.09
2.	किरण कुमार पुत्र कानाराम हि0 36831/97329 जाति सरगरा सा0 जालौर भावना परिहार पत्नि मनीष परिहार हि0 30027/97329 जाति ढोली सा0 खोड महावीर प्रसाद बैरवा पुत्र भैरू बैरवा हि0 30471/97329 जाति बैरवा सा0 संजय नगर, वरल अजमेर खातेदार	3149 3170 3171	3.6729 3.8700 2.1900	जा0 सो0 बजंड़ जा0 सो0 बंजड़ जा0 सो0 बंजड़	17.58 1.49 18.60 1.54 1.75 0.44
		03	9.7329	—	50.59

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

उप खण्ड अधिकारी (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

मीजान –

मुश्तिमिल –

बाबत –

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/03/2025 को जारी की गई।

(मारिंगा राम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सोजत

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.